प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम, जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अधीन होती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है एवं इसे समय–समय पर यथा संशोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक छः उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों की सूची में से नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्पन्न की गई लेखापरीक्षा के साथ–साथ उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के सम्बन्ध में उसे, सीएजी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्पन्न की गई लेखापरीक्षा के साथ–साथ उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2011–12 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2011–12 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

6. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।